



Neutral Citation No. - 2026:AHC:63990-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट सी याचिका संख्या - 11455 वर्ष 2026

केशव सिंह यादव और एक अन्य

...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

...प्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: अभिषेक कुमार यादव, भोला नाथ यादव, कमल सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी., कार्तिकेय सरन

न्यायालय संख्या - 21

माननीय न्यायमूर्ति महेश चन्द्र त्रिपाठी

माननीय न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री देवेश विक्रम, राज्य प्रतिवादियों के लिए अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता और श्री कार्तिकेय सरन, विद्वान अधिवक्ता, जिन्होंने प्रतिवादी संख्या 3 - मेला अधिकारी, मेला प्राधिकरण, प्रयागराज की ओर से नोटिस स्वीकार किया है, की बात सुनी गई।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित राहत के लिए यह रिट याचिका दायर की है:-

- i. याचिकाकर्ता की भूमिधारी भूमि पर कब्जे और उपयोग के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए प्रतिवादी को आदेश देने हेतु परमादेश के रूप में रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए। यह भुगतान कुंभ मेले के अवसर पर याचिकाकर्ता की भूमिधारी भूमि पर कब्जे और उपयोग के लिए कानून के प्रावधानों के अनुसार बकाया राशि और उस पर ब्याज सहित किया जाना चाहिए।
- ii. याचिकाकर्ता को आदेश देने हेतु परमादेश के रूप में रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए। प्रतिवादी को 30 लाख 74 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति/मुआवजे का भुगतान करने के लिए आदेश दिया जाए। यह भुगतान ब्याज सहित इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर किया जाना चाहिए।
- iii. रिट आदेश या परमादेश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादियों को विशेष रूप से मेला प्राधिकरण, कुंभ मेला प्राधिकरण प्रयागराज को आदेश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 23.02.2026 को प्रस्तुत अभ्यावेदन पर इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर, तर्कपूर्ण आदेश द्वारा निर्णय लें।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने राहत की मांग करते हुए रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 4 में किए गए कथनों पर भरोसा किया है और प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता भूमिधर हैं और ग्राम उस्तापुर महमूदबाद, तहसील फूलपुर, जिला प्रयागराज में स्थित कृषि भूमि के हस्तांतरण के हकदार हैं। याचिकाकर्ताओं की जोत को कुंभ मेला प्राधिकरण द्वारा नोटिस संख्या निल दिनांक 20.08.2024 के माध्यम से उचित मुआवजे और पारदर्शिता अधिनियम, 2013 (संक्षेप में, 'अधिनियम, 2013') की धारा 81 के तहत कुंभ मेला 2024-25 के लिए अस्थायी रूप से अधिग्रहित

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं की भूमि का उपयोग कुंभ मेले के समय किया गया था और तब से याचिकाकर्ता सक्षम न्यायालय के समक्ष राहत के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन आज तक याचिकाकर्ताओं की शिकायत पर विचार नहीं किया गया है और प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त की गई सीमा दीवार के लिए पर्याप्त मुआवजा भी नहीं दिया गया है। इस पृष्ठभूमि में, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता ने पहले ही हुए नुकसान का आकलन कर लिया है और अधिनियम, 2013 की धारा 81 और 82 के प्रावधानों के तहत मुआवजे की पात्रता निर्धारित कर ली है, लेकिन आज तक सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् मेला प्राधिकरण, प्रयागराज द्वारा याचिकाकर्ताओं की शिकायत का निवारण नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी राहत को इस हद तक सीमित रखा है कि प्रतिवादी प्राधिकारी को याचिकाकर्ताओं द्वारा स्थापित दावे का विधिवत निर्णय करने का निर्देश जारी किया जाए।

4. प्रतिवादी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि इस स्तर पर, पर्याप्त निर्देशों के अभाव में, वे यह स्पष्ट करने की स्थिति में नहीं हैं कि याचिकाकर्ताओं की जोत का उपयोग किया गया है या नहीं। हालांकि, चूंकि याचिकाकर्ताओं ने अपनी राहत को इस हद तक सीमित रखा है कि उनके दावे का निर्णय किया जाए, इसलिए इस पहलू की विधिवत जांच की जाएगी।

5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा मांगी गई राहत को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका को लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा। पक्षकारों की सहमति से, यह रिट याचिका इस टिप्पणी के साथ निस्तारित की जाती है कि दिनांक 23.02.2026 का आवेदन, जो विचाराधीन है, पर प्राधिकरण द्वारा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के आलोक में शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर निर्णय लिया जाए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति महेश चन्द्र त्रिपाठी) (न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह)

26 मार्च, 2026

सुमित एस

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।